Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर एवं कोटपूतली में खण्डीय लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 3 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से लगभग 200 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *16 नवम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की इन्टेलिजेंस इकाई द्वारा विकसित सूत्र सूचना पर आज ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये महिपाल सिंह खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटपूतली के जयपुर एवं कोटपूतली सहित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय द्वारा महिपाल सिंह खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटपूतली, जयपुर के विरूद्ध सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री आहद खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी, जयपुर ग्रामीण** के नेतृत्व में ब्यूरो की जयपुर ग्रामीण, नगर–तृतीय एवं इन्टेलिजेंस यूनिट के सहयोग से टीमों का गठन किया जाकर आज अलसुबह उनके 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन एवं अब तक मिले दस्तावेजों के अनुसार श्री महिपाल सिंह खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटपूतली, जयपुर द्वारा **लगभग 2.63 करोड** की परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी **वैध आय से करीब 200 प्रतिशत अधिक** है। आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर, कोटपूतली में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। आरोपी के जयपुर स्थित मकान से **10 लाख 23 हजार 40 रुपये की नगदी, 1 किलोग्राम सोने के बिस्कुट, 372 ग्राम सोने के आभूषण, दो लग्जरी वाहन** सहित काफी मात्रा में चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मिले हैं। आरोपी के कोटपूतली स्थित कार्यालय एवं आवास की तलाशी में **दो स्टोन क्रेशर, खनन लीज के दस्तावेज एवं एक बैंक में लॉकर** होने का भी पता चला है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसमें और अधिक परिसम्पत्तियों का पता चलने की संभावाना है। आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण पीसी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।